समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला योजना कार्यालय)
निविदा आमंत्रण।

पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत निबंधन कार्यालय के लिए जिला नवाचार निधि से ध्वनि रहित एवं प्रदूषण रहित 10 KVA एंव 15KVA जेनेरेटर सेट का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त जेनेरेटर सेट का क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मो के जेनेरेटर निर्माता अथवा उनके अधिकृत एजेंसी से तकनीकी एंव वितीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में दिनांक–08.06.2015 के अपराहन 05:00 बजे तक आमंत्रित की जायेगी। निर्धारित तिथि एंव समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा खोलने की तिथि निविदा प्राप्ति के पश्चात निर्धारित की जायेगी। निविदा समर्पित करने के लिए निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक है :–

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

तकनीकी निविदा की शर्ते :–

i. तकनीकी बीड में निविदादाता को स्वंय जेनेरेटर निर्माता होने अथवा संबंधित कम्पनी के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
ii. निविदादाता को VAT निबंधित होने तथा आयकरदाता होने का अधतन प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
iii. निविदा के साथ मो0–25000.00 पच्चीस हजार रुपये का जमानत राशि जमा करना होगा, जिसे **जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के रुप में स्वीकार होगा।
iv. तकनीकी बीड में निविदा के लिए प्रस्तावित जेनरेटर सेट की पूर्ण विवरणी यथा–ध्वनि रहित/प्रदुषण रहित/तकनीकी विशिष्टियों आदि की विवरणी अर्थात Prospectus संलग्न करना होगा। वारंटी का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।

वितीय निविदा की शर्ते :–

i. वितीय निविदा में प्रति इकाई दर सभी करों के साथ होगा। जिसमें परिवहन व्यय एंव अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित होगा।

सामान्य शर्ते :–

i. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे मे होगी। एक पर तकनीकि निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वितीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखें। दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा। निविदा कोरियर/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। तकनीकी निविदा पीले रंग के लिफाफे मे व वितीय निविदा सफेद रंग के लिफाफे में होनी चाहिए।
ii. प्रतिष्ठित, अच्छी एंव मान्यता प्राप्त कम्पनी के साथ–साथ उच्च गुणवता, आधुनिक डिजाईन को प्राथमिकता दी जायेगी।
iii. जेनरेटर सेट आपूर्ति आदेश निर्गत करने की तिथि से पन्द्रह दिनो के अंदर करनी होगी।
iv. निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता की जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
v. किसी प्रकार की राशि अग्रिम देय नहीं होगा।
vi. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
vii. निविदाकर्ता को आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किये जाने वाले सामान का तीन वर्षो की गारंटी देनी होगी।
viii. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगी।
ix. www.eastchamparan.bih.nic.in निविदा की शर्तो को देखा जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 15.5.15

जिला योजना पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।